न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 39/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2025/71

अपीलान्ट

1. फतेह मोहम्मद पुत्र स्व. फेज मोहम्मद
2. शौकत पुत्र स्व. फेज मोहम्मद
   समस्त जाति साई (फकीर) मुसलमान, निवासीगण पिलती स्कूल के पास, डीडवाना
3. रूकेया बानो पुत्री फेज मोहम्मद पत्नी जब्बार अली
4. सलमा पुत्र स्व.फेज मोहम्मद पत्नी माहम्मद हुसैन
   समस्त जाति साई (फकीर) मुसलमान, निवासीगण मीठड़ी, तहसील मकराना
5. लाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी
6. अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल गनी
7. कालु पुत्र अब्दुल गनी
8. बाबू अली पुत्र अब्दुल गनी
9. फजलुरहमान पुत्र अब्दुल गनी
10. घिसा पुत्री अब्दुल गनी पत्नी पीरू खां
    समस्त जाति साई (फकीर) मुसलमान, निवासीगण पिलती स्कूल के पास, डीडवाना
11. भूरी बानों पुत्री अब्दुल गनी पत्नी उस्समान खां जाति सांई निवासी जेपी कॉलोनी नं0 1 टोंक वालों की बस्ती आमेर रोड जयपुर।
12. युसुफ पुत्र गुलाम रसुल उर्फ गुलाम मोहम्मद
13. मईनुदीन पुत्र गुलाम रसुल उर्फ गुलाम मोहम्मद
14. मोहम्मद जाकीर पुत्र गुलाम रसुल उर्फ गुलाम मोहम्मद समस्त जाति सांई निवासी पिलती स्कूल के पास डीडवाना
15. रजिया पुत्री गुलाम रसुल उर्फ गुलाम मोहम्मद जाति सांई निवासी मीठडी तहसील मकराना
16. फुल मोहम्मद पुत्र फेज मोहम्मद जाति सांई निवासी मुस्तफा कॉलोनी साल्ट रोड डीडवाना

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. तहसीलदार डीडवाना
2. मंगलाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी मण्डाबासनी तहसील डीडवाना
3. सदीक पुत्र गुलाब रसुल उर्फ गुलाम मोहम्मद जाति सांई निवासी पिलती स्कूल के पास डीडवाना।
4. अब्दुल सतार पुत्र अब्दुल रजाक
5. इकबाल पुत्र अब्दुल रजाक
6. रफीक पुत्र अब्दुल रजाक समस्त जाति सांई निवासी पिलती स्कूल के पास डीडवाना

अपील अधीन धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 07.12.1975 तहसीलदार डीडवाना।

उपस्थितः–

1. श्री अल्ताफ हुर्सन वकील अपीलान्ट की ओर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

–:निर्णय:–

दिनांक : 09.07.2025

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थीगण संख्या 01 ता 03 व 16 खातेदार स्व. फेजु उर्फ फेज मोहम्मद, अपीलार्थी संख्या 05 ता 11 खातेदार गनी उर्फ अब्दुल गनी, अपीलार्थी संख्या 12 ता 15 व प्रत्यर्थी सं0 03 खातेदार गुलाम रसुल उर्फ गुलाम मोहम्मद एवं प्रत्यर्थी सं0 04 ता 06 खातेदार अब्दुल रजाक के वारिसान है। अपीलार्थी सं0 01 ता 15 के पिता की खातेदारी व कब्जा काश्त के साबिक खेत खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा जिसके वर्तमान खसरा सं0 966 रकबा 4.7400 हैक्टेयर व खसरा सं0 1357/966 रकबा 1.1410 हैक्टेयर कुल रकबा 5.8810 हैक्टेयर वाके सरहद मण्डाबासनी अवस्थित है। उक्त खेत की भूमि अपीलार्थी पक्ष के दादा मुस्तफा पुत्र धुडाशा फकीर की खातेदारी व कब्जा काश्त की रही है, उनके पश्चात अब्दुल रजाक, फेजु, गनी, गुलाम रसुल पुत्रगण मुस्तफा फकीर के नाम खातेदारी स्वामित्व हक अधिकार की रही। स्व0 अब्दुल रजाक, फेजु, गनी, गुलाम रसुल द्वारा उक्त खसरे में से 1/3 हिस्सा यानि 13.06 बीघा भूमि प्रत्यर्थी सं0 02 को विक्रय की थी। परन्तु प्रत्यर्थी सं0 02 द्वारा बदनियति पूर्वक अपीलार्थी पक्ष के पुर्वज के भोले स्वभाव व अनपढ का फायदा उठाते हुए राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर नामान्तरकरण सं0. 376 दिनांक 07.12.1975 के जरिये सम्पूर्ण खेत की खातेदारी बाला–बाला प्राप्त कर ली, जिसकी अपीलार्थी पक्ष का हाल ही होने से यह अपील निम्न आधारों पर पेश की जाती है।

::– अपील के आधार ::–

1. तहसीलदार डीडवाना का नामान्तरकरण सं0 376 दिनांक 07.12.1975 न्याय के सामान्य सिद्धान्तों व दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 29.05.1975 के विपरीत पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. प्रत्यर्थी सं0 02 अपीलार्थी पक्ष की पैतृक कृषि भूमि का पश्चिम पडौसी रहा है। कई बार अपीलार्थीगण ने अपने हक अधिकार की भूमि प्रत्यर्थी सं0 02 को बांटे पर देकर बांटे का धान प्रत्यर्थी सं0 02 से प्राप्त करते रहे है तथा अधिक समय तक अपीलार्थी अथवा उनके पिता अपने पैतृक खातेदारी हक अधिकार की भूमि पर काश्त कर कृषि अनाज उत्पन्न कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। अपीलार्थी पक्ष के पिता

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:24 IST
Reason: SelfAttested

स्व0 फेजु, गनी, गुलाम रसुल, अब्दुल रजाक का उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/4–1/4 हक अधिकार व स्वामित्व रहा। अपीलार्थीगण के पूर्वज अत्यंत साधारण ग्रामीण परिवेश के किसान काश्तकार व्यक्ति रहे है। अपीलार्थी पक्ष के पिता द्वारा प्रत्यर्थी सं0 02 से खेत खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा में से 1/3 हिस्सा अर्थात कुल रकबे में से 13.06 बीघा का सौदा कुल रकम 6000 रूपये में तय कर प्रत्यर्थी सं0 02 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 29.05.1975 को टंकित करवाकर पंजीयन करवाया जो बही नं0 01 के सफा नम्बर 245, 246 जिल्द संख्या 37 के क्रम सं0 301/75 पर दर्ज किया गया तथा विक्रित 13.06 बीघा भूमि का भौतिक कब्जा प्रत्यर्थी को सुपुर्द कर दिया, शेष 26.14 बीघा भूमि पर अपीलार्थी पक्ष के पिता का भौतिक कब्जा यथावत रहा जो आज दिन तक अपीलार्थी पक्ष के पिता के पश्चात अपीलर्थी पक्ष का निरन्तर कब्जा हक अधिकार चला आ रहा है।

3. प्रत्यर्थी सं0 02 अत्यधिक होशियार व चालाक किस्म का व्यक्ति रहा है। अपीलार्थी पक्ष के पिता द्वारा पत्यर्थी सं0 02 से खेत खसरा सं0 677 में से 1/3 हिस्सा खरीद करने के पश्चात उसने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थी पक्ष के पिताओं को बिना सूचना नोटिस दिये बाला–बाला नामान्तरकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। जिसकी जानकारी कभी भी अपीलार्थी पक्ष अथवा उनके पिताओं को नहीं हुई, अपीलार्थी पक्ष व उनके पिता यही समझते रहे कि प्रत्यर्थी सं0 02 को खसरा सं0 677 में से 13.06 बीघा भूमि विक्रय की है तथा उसी विक्रित भूमि पर प्रत्यर्थी सं0 02 का कब्जा है। उक्त खेत की भूमि अपीलार्थी पक्ष के पिताओं के साथ प्रत्यर्थी सं0 02 के नाम 1/3 खातेदारी में विक्रय विलेख दिनांक 29.05.1975 के आधार पर दर्ज हो गया होगा। प्रत्यर्थी सं0 02 द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ गांठ कर खेत का नामान्तरकरण सं0 376 भरवाकर सम्पूर्ण खेत की भूमि की खातेदारी बिना किसी हक अधिकार के बिना किसी कब्जे के बिना खातेदार के विक्रय विलेख से प्राप्त कर ली तथा राजस्व अधिकारियों से अपीलार्थी पक्ष के पिताओं स्व0 फेजु, गुलाम रसुल, गनी, अब्दुल रजाक के नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के हटवाकर खातेदारी प्राप्त कर ली जिसकी जानकारी कभी भी अपीलार्थी पक्ष के पिताओं व अपीलार्थी पक्ष को नहीं हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

4. वर्तमान में बारिश का समय नजदीक आने पर अपीलार्थीगण द्वारा इस वर्ष काश्त करने का इरादा रखने के कारण अपने हक अधिकार की भूमि में जानवरों की गोबर खाद लेकर दिनांक 15.04.2025 को खेत में गये तो प्रत्यर्थी सं0 02 व उसके पुत्रों ने अपीलार्थी को खेत में खाद नहीं डालने दी तब अपीलार्थी संख्या 16 द्वारा प्रत्यर्थी सं0 02 व उसके परिवार को समझाईश के प्रयास किये तो उन्होने बनाया कि उक्त सम्पूर्ण खेत की खातेदारी प्रत्यर्थी सं0 02 के नाम है। तब अपीलार्थी दिनांक 21.04.2025 को राजस्व अभिलेख की नकले निकलवाने पर अपीलार्थी पक्ष को प्रथम बार जानकारी हुई कि संवत 2030 से 2033 की जमाबन्दी में अपीलार्थी पक्ष के पिता के सामने नामान्तरकरण सं0 376 दिनांक 07.12.1975 को खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा की भूमि प्रत्यर्थी सं0 02 के नाम दर्ज करने का नोट लगी हुई जमाबन्दी की नकले प्राप्त हुई। उक्त नामान्तरकरण में सम्पूर्ण भूमि का गलत रूप से प्रत्यर्थी सं0 02 के नाम नामान्तरकरण भर जाने के कारण अपीलार्थी पक्ष द्वारा दिनांक 30.042025 को नामान्तरण सं0 376 में दर्ज विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति अजमेर से प्राप्त की। उक्त विक्रय विलेख में अपीलार्थी पक्ष के पिताओं द्वारा 1/3 हिस्सा प्रत्यर्थी सं0 02 को विक्रय किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं0 02 के पक्ष में भरा गया नामान्तरकरण सं0 376 दिनांक 07.12.1975 विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन पुराने खेत खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा वाके सरहद डीडवाना वर्तमान खसरा सं0 966 रकबा 4.7400 हैक्टेयर, खसरा सं0 1357/966 रकबा 1.1410 हैक्टेयर वाके सरहद मण्डाबासनी पटवार हल्का दादुबासनी तहसील डीडवाना में दर्ज नामान्तरकरण सं0 376 दिनांक 07.12.1975 को अपास्त कर प्रत्यर्थी सं0 02 के नाम 1/3 एवं शेष हिस्सा अपीलार्थी पक्ष के नाम नामान्तरण के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं0 02 की तरफ से वकील श्री अजीत सिंह ने तथा प्रत्यर्थी सं0 04 ता 06 की तरफ से वकील श्री हर[illegible] ने वकालतनामा पेश किया। प्रत्यर्थी सं0 01 व 03 बावजुद तामिल के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से विस्तृत रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट अनुसार विक्रय पत्र सं0 76/1971 दिनांक 22.'02.1971 के अनुसार विक्रेता अब्दुल रजाक, गनी, फेजु, गुलाम रसुल पिता मुस्तफा कौम फकीर साकिन डीडवाना के द्वारा मंगला पुत्र रामा जाति जाट निवासी मण्डाबासनी को ग्राम डीडवाना के खसरा सं0 675 रकबा 7.02 बीघा सम्पूर्ण एवं खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा में से 1/3 हिस्सा अर्थात 13.06 बीघा आथूणा भाग का विक्रय किया गया है जिसका नामान्तरण सं0 291 दिनांक 16.05.1974 दर्ज किया गया है जो विक्रय पत्र के अनुसार है।

विक्रय पत्र सं0 301/1975 दिनांक 10.06.1975 के द्वारा विक्रेता अब्दुल रजाक, गनी, फेजु, गुलाम रसुल पिता मुस्तफा, कौम सांई साकिन डीडवाना द्वारा श्री मंगलाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी गिलाबासनी (मण्डाबासनी) को मौजा डीडवाना के खसरा सं0 677 का शेष 2/3 हिस्सा अर्थात 26.14 बीघा का बैचान किया गया है। दोनों विक्रय पत्रों के अनुसार विक्रेतागण अब्दुल रजाक, गनी, फेजु, गुलाम रसुल पिता मुस्तफा कौम सांई निवासी डीडवाना द्वारा श्री मंगलाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी गिलाबासनी (मण्डाबासनी) को मौजा डीडवाना के खसरा सं0 677 रकबा 40 बीघा का सम्पूर्ण विक्रय कर दिया गया है व मौजा डीडवाना के खसरा सं0 675 रकबा 7.02 बीघा का बैचान कर दिया गया है। यह दोनों खसरे वर्तमान में मौजा मण्डाबासनी में अवस्थित है। पुराने खसरा नम्बर 677 रकबा 40 बीघा के नये खसरा सं0 966 रकबा 4.7400 हैक्टेयर, खसरा सं0 1357/966 रकबा 1.1410 हैक्टेयर एवं खसरा सं0 1356/966 रकबा 0.5990 हैक्टेयर बने है जिनका कुल योग 6.4800 हैक्टेयर अर्थात 40 बीघा बनता है। खसरा सं0 1356/966 रकबा 0.5990 हैक्टयर गै0मु0 सड़क वर्तमान में मौजा मण्डाबासनी के खाता संख्या 01 में सार्वजनिक विभाग डीडवाना (पीडब्ल्यूडी) के नाम दर्ज है एवं खसरा सं0 675 रकबा 7.02 बीघा के नये खसरा सं0 964 रकबा 1.1500 हैक्टयर बने है। दोनों दस्तावेजों से विक्रेतागण अब्दुल रजाक, गनी, फेजु, गुलाम रसुल पिता मुस्तफा कौम सांई निवासी डीडवाना द्वारा श्री मंगलाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी गिलाबासनी (मण्डाबासनी) विक्रय की गयी उस के अनुसार ही वर्तमान में मंगलाराम के नाम खातेदारी दर्ज है।

बहस सुनी गई। पत्रावली उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 337 दिनांक 09.07.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि दोनों विक्रय पत्र दस्तावेजों के अनुसार विक्रेतागण अब्दुल रजाक, गनी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:38:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

फेजु, गुलाम रसुल पिता मुस्तफा कौम सांई निवासी डीडवाना द्वारा श्री मंगलाराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी गिलाबासनी (मण्डाबासनी) को विक्रय की गयी उसी के अनुसार ही नामान्तरण दर्ज किये गये है। उक्त नामान्तरण पंजीबद्ध दस्तावेजों के अनुसार दर्ज किये गये है तथा उक्त नामान्तरण विधिसम्मत भरे गये है। जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलान्ट की अपील सारहीन व आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **09.07.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

09.07.25

(डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:39:24 IST
Reason: SelfAttested